


विविध बैंक प्रकरण सं० 102/2016 ऑरियन्टल बैंक आफ कामर्स
श्रीगंगानगर बनाम संजयकुमार धुवा पुत्र श्री फतेहचंद धुवा निवासी
वार्ड न० 9(नया) पुराना 14, आदर्श कोलोनी, नजदीक शारदा स्कूल,
सूरतगढ़

13-02-2017




A3

वकील प्रार्थी उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि यह प्रा० पत्र स्टेट ऑरियन्टल बैंक कॉमर्स श्रीगंगानगर द्वारा श्री संजय कुमार धुवा पुत्र श्री फतेहचंद निवासी वार्ड न० 9 (नया) पुराना 14, आदर्श कोलोनी, नजदीक शारदा स्कूल, सूरतगढ़ के विरुद्ध धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत Commercial shop which is a part of plot no. 34, situated at ward no. 14 (new) near SBBJ Bank] measuring 10x20 Sq. Ft. का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री मदन सिडाना ने प्रार्थना की है कि प्रार्थी बैंक इस प्रा० पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं और नॉट प्रेस करते हैं।

चूंकि प्रार्थी बैंक अब इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए यह प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13-02-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर